चिनहट औद्योगिक क्षेत्र में दोहरे टैक्स से राहत, हाउस टैक्स पर रोक

- उद्योग बंधु की बैठक में डीएम ने दिए निर्देश, नगर निगम ने दी थी नोटिस
- अतिक्रमण को लेकर फिर किया दावा, आठ से चलेगा अभियान

जासं, लखनऊ : चिनहट औद्योगिक क्षेत्र देवा रोड के उद्यमियों को फिलहाल दोहरा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने चिनहट के उद्यमियों को राहत दी है। अगले आदेश तक उन्हें हाउस टैक्स नहीं देना होगा। नगर निगम ने चिनहट औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को हाउस टैक्स के लिए नोटिस जारी की थी।

इस बार आठ को अतिक्रमण हटाने का दावा : बैठकों में औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दावे किए जाते रहे, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता है। सोमवार को एक बार फिर बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा उठा। उद्यमियों का कहना था कि बार-बार केवल दावे होते हैं, होता कुछ नहीं। अफसर बहाने बनाते हैं।

अतिक्रमण के चलते काम करना मुश्किल हो रहा है। इस पर डीएम ने पुलिस विभाग, संबंधित उप जिलाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, यूपीसीडा एवं ट्रैफिक पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम गठित कर आठ अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

बैठक में चर्चा पर महीनों से नहीं बन पा रही सड़क : प्रदीप कैटर्स के सामने महीनों से सड़क खराब है। कई बार बैठकों में सड़क मरम्मत की चर्चा हो चुकी है, लेकिन विभाग एक-दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं। नगर पंचायत का कहना है कि जलभराव की समस्या का निस्तारण एनएच विभाग से संबंधित है। इस पर डीएम ने एनएच विभाग की अलग होने वाली बैठक में प्रकरण को निस्तारित कराने के निर्देश दिए।

एनओसी से लेकर ऋण तक का प्रारूप मिलेगा

निवेशकों को अपनी फैक्ट्री और इकाई स्थापित करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। उद्योग उपायुक्त मनोज चौरसिया का कहना है कि एनओसी, बैंक लोन या फिर जमीन का लैंडयूज बदलने में कौन से कागजों की जरूरत होगी और किस तरह फार्म भरना होगा, इन सबका प्रारूप उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे निवेशकों को प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत नहीं होगी।

उद्योग बंधु की बैठक में निर्देश देते जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार • जागरण

निवेश मित्र पोर्टल पर भी नहीं हो रही सुनवाई

प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद उद्यमियों और निवेशकों के आवेदन लंबित हैं। फिल्म बंधु के पास तीन, फूड सेफ्टी के छह, हाउसिंग विभाग के पास 21, यूपीसीडा के पास सात, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी के पास चार तथा कई विभागों के पास प्रकरण लंबित हैं। जिलाधिकारी ने तत्काल सभी मामले निस्तारित करने के निर्देश दिए।